

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 938, 939, 1810 / 2011 / जोधपुर

मैसर्स प्रताप इंजीनियरिंग वर्क्स,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त-द्वितीय, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थितः:

श्री श्याम लालवानी, अधिकृत प्रतिनिधि।

.....व्यवहारी की ओर से

श्री एन.एस.राठौड़,

उप राजकीय अधिवक्ता

.....विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी की ओर से ये तीन अपीलें उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), जोधपुर-प्रथम (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक **08.02.2011, 08.02.2011 व 11.07.2011** जो क्रमशः अपील संख्या 23, 70 व 44 /आर.वैट/जेयूडी/2009-10 के संबंध में पारित किये गये हैं, के विरुद्ध पेश की गयी हैं तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-द्वितीय, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 व 55 के तहत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः दिनांक 12.03.2009, 04.01.2010 व 14.10.2010 के जरिये रिवर्स कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. चूंकि तीन अपीलों के तथ्य सादृश्य होने के कारण इनका निर्णय एकीकृत रूप से किया जा रहा है और निर्णय की एक-एक प्रति छः अपील पत्रावलियों पर अलग-अलग रखी जा रही है ।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि के निर्धारण आदेश पारित करते समय जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जॉब वर्क पर किये गये कार्यों में प्रयुक्त कन्स्यूमेबल्स (Consumables) उत्पाद यथा:- लुब्रीकेन्ट ऑयल एवम् ग्राइन्डिंग व्हील्स (Grinding Wheels) के लिये आगत कर का मुजरा चाहा गया है जिसे अस्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये । उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष

अपील संख्या - 938, 939, 1810/2011/जोधपुर

अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें उक्त बिन्दु पर अस्वीकार कर, पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश पारित किये गये। उक्त पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जॉब वर्क पर कार्य किया जाता है एवम् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में जिन व्यवहारियों का जॉब वर्क किया जाता है उक्त माल पर व्यवहारी द्वारा नियमानुसार कर दायित्व का निर्वहन कर, राजकोष में जमा करवाया गया है। अतः जॉब वर्क पर काम में लिये गये माल का अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विधिक रूप से आगत कर का मुजरा चाहा गया था जिसे दोनों अवर अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर, आदेश पारित किये गये हैं जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल के न्यायिक दृष्टांत 20 टैक्स वर्ल्ड 399 मैसर्स त्रिवेणी ऑयलफील्ड सर्विसेज लि. बनाम वा.क.अ. व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत निर्धारण अधिकारी बनाम मैसर्स ईस्ट इण्डिया कॉटन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, लि. को प्रोद्धरित कर, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों के संबंध में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि क्या जॉब वर्क पर किये गये कार्य के लिये प्रयुक्त कन्स्यूमेबल्स (Consumables) उत्पाद यथा:- लुब्रीकेन्ट ऑयल एवम् ग्राइन्डिंग व्हील्स (Grinding Wheels) पर आगत कर का मुजरा देय है अथवा नहीं? इस संबंध में निर्णय से पूर्व अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों, कच्चे माल एवम् निर्माणकर्ता की परिभाषा का समग्र रूप से अध्ययन करना समीचीन होगा जो इस प्रकार है:-

अधिनियम की धारा 18.- **Input Tax Credit.** - (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or

(c) sale in the course of export outside the territory of India; or

अपील संख्या — 938, 939, 1810/2011/जोधपुर

- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, "*except those as may be notified by the State Government,*" in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) "*being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale*" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) being used in the State as capital goods; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

8. इसी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत "कच्चे माल" को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसका मूल पठन इस प्रकार है:—

"raw material" means goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, fuel and lubricant required for the process of manufacture;

9. इसी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत "वि-निर्माण" प्रक्रिया को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसका मूल पठन इस प्रकार है:—

"manufacture" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government

8. अब इस पीठ के समक्ष जो बिन्दु निर्णयार्थ है कि क्या जॉब वर्क किये जाने के लिये, जॉब वर्क किये जाने वाले व्यवहारी द्वारा प्रयोग में लिये गये माल जो कि कर चुका कर उसके द्वारा क्रय किया गया है, पर आगत कर का मुजरा प्राप्त होगा या नहीं ? इस संबंध में यदि अधिनियम की धारा 18 (e) व 18 (f), ऊपर अंकित "कच्चे माल" (raw material) व "वि-निर्माण" प्रक्रिया की परिभाषा का समग्र रूप से अध्ययन करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आगत कर का मुजरा उस स्थिति में देय होगा जब किसी व्यवहारी द्वारा राज्य में पंजीकृत किन्हीं व्यवहारियों से कर योग्य माल का क्रय पैकिंग मैटेरियल या फिर कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने हेतु क्रय कर, विक्रयार्थ माल का निर्माण किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि कच्चे माल में कन्स्यूमेबल्स गुड्स व लुब्रीकन्ट ऑयल भी शामिल हैं जिनका प्रयोग किसी वस्तु के वि-निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अब समग्र रूप से उक्त के विश्लेषण करने पर क्या अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रयोग किये गये कन्स्यूमेबल्स (Consumables) उत्पाद यथा:— लुब्रीकन्ट ऑयल एवम् ग्राइन्डिंग व्हील्स (Grinding Wheels) का प्रयोग जो कि उसके द्वारा जॉब वर्क कार्य के लिये किया गया है एवम् जो वि-निर्माण प्रक्रिया के उपरांत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नयी उत्पादित वस्तु जो कि किसी तीसरे पक्षकार द्वारा विक्रय की

अपील संख्या - 938, 939, 1810/2011/जोधपुर

गयी है, पर आगत कर का मुजरा अपीलार्थी व्यवहारी प्राप्त करने का हकदार है कि नहीं ? इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 48 एस.टी.सी. 240 निर्धारण अधिकारी बनाम् मैसर्स ईस्ट इण्डिया कौटन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, लि. निर्णय दिनांक 23.07.1981 में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:- “It was got this reason that the legislature deliberately omitted to add the words “by him” after the words “for sale” so as to make it clear that this sub-clause of section 8(3)(b) would apply even if the goods manufactured or processed by the registered dealer were intended for sale for someone else. The words “for sale” following upon the word “goods” clearly indicate that the goods manufactured or processed by the registered dealer must be goods for sale or, in other words, they must be goods intended for sale, and it is immaterial whether they are intended for sale by the registered dealer himself or by anyone else. This sub clause of section 8(3) would therefore, clearly cover a case where a registered dealer manufactures or process goods for a third party on a job contract and uses in the manufacture or processing of such goods, materials purchased by him against his certificate or registration and the declarations in form C, so long as the manufactured or processed goods are intended for sale by such third party. It is, of course, true that if the proceedings are taken against the registered dealer under section 10, clause (d) or section 10A, the question would arise whether the goods manufactured or processed by the registered dealer for a third party were intended for sale by such third party and that would have to be decided by the court or the competent authority according to the appropriate and relevant rules of evidence, but merely because some difficulty may arise in the determination of this question by reason of the third party coming into the picture that would be no ground for refusing to palce on the language of section 8(3)(b) the only construction which it can reasonably bear.”


माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांतों के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जॉब कार्य में निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने तथा निर्मित माल जॉब वर्क करवाने वाले व्यवहारी द्वारा विक्रय करने पर, प्रयुक्त कच्चे माल पर आगत कर का मुजरा देय होगा क्योंकि जिस प्रकार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(3)(बी) के तहत “for use by him in the manufacture or processing of goods for sale.” अंकित होने पर माननीय न्यायालय द्वारा “by him” अंकित नहीं होने के आधार पर जॉब वर्क को कतिपय माल घोषणा प्ररूप “सी” के आधार पर क्य किये जाने को उचित ठहराया है। उसी प्रकार अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18(1)(f) के तहत कच्चे माल से वि-निर्मित माल को स्वयं द्वारा विक्रय की शर्तें नहीं लगायी गयी हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विक्रय की शर्तें उक्त धाराओं के अनुरूप होने पर ही आगत कर का मुजरा देय होगा। हस्तगत प्रकरण में रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्या वास्तव में जॉब वर्क पर निर्माण कार्य करता है एवम् निर्मित वस्तु वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ विक्रय धारा 18(1)(e) व 18(1)(f) के अनुरूप ही

अपील संख्या – 938, 939, 1810 / 2011 / जोधपुर

हैं। अतः उक्त तथ्यों के सत्यापन हेतु प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवहारी प्रस्तुत साक्ष्यों के सत्यापन व जांच बाद अपीलार्थी व्यवहारी को नियमानुसार आगत कर का मुजरा प्रदान करें।

9. परिणामतः, हस्तगत अपील प्रकरण स्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।


28.2.2014
(मदन लाल)
सदस्य